

(घ) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं और उज्जैन जाने वाले यात्रियों के लिए नागदा में इसका स्टाप न बनाने का क्या औचित्य है जबकि यह स्टाप उनके लिए ज्यादा सुविधाजनक है ?

रेलमंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपस्थित (श्री मल्लिकार्जुन) :

((क) उज्जैन से अहमदाबाद जाने वाले और रतनाम में चढ़ने वाले यात्रियों के लिए 181 डाऊन सर्वोदय एक्सप्रेस में दूसरे दर्जे के वातानुकूल शयनयान की दो शयिकाओं तथा दूसरे दर्जे में 20 शयिकाओं का कोटा निर्धारित किया गया है। 182 सर्वोदय एक्सप्रेस से उज्जैन के लिए कोई कोटा निर्धारित नहीं किया गया है।

(ख) और (ग) 1-5-79 से स्पष्ट है में दो बार चलने वाली 181/182 सर्वोदय एक्सप्रेस आणंद, बडोदरा, गोधरा, रतनाम और कोटा में टहरती थी। इसके अतिरिक्त इस समय में गाड़ियां नडियाड और मथुरा में भी एकती हैं।

(घ) नागदा दिल्ली/नयी दिल्ली के साथ 4 जोड़ी डाक/एक्सप्रेस गाड़ियां तथा अहमदाबाद के साथ एक जोड़ी एक्सप्रेस गाड़ियों से जुड़ा हुआ है। चूंकि 181/182 एक्सप्रेस गाड़ियां मुख्यतः नयी दिल्ली और अहमदाबाद क्षेत्र के बीच धू यात्रियों के लिए है, इन्हें नागदा में ठहराना वांछनीय नहीं है। चूंकि नडियाड से दिल्ली के लिये कोई सीधी सेवा नहीं है, वहां 181/182 एक्सप्रेस गाड़ियों के ठहराव की व्यवस्था की गयी है। 181/182 गाड़ियां पहले से ही

परिचालनिक कारणों से मथुरा में एकती थीं। बाद में यह ठहराव गन्धी ठहराव में बदल दिया गया।

Gangmen in Chakradharpur Division

7718. SHRI R. P. SARANGI: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) how many gangmen are working in Chakradharpur Division (South Eastern Railway) who after serving for more than three years have not yet been made permanent;

(b) whether there is any regulation in Railways that, after completion of three years regular service, the staff will be made permanent;

(c) if so, the reasons why it is not being implemented in Chakradharpur Division; and

(d) whether these employees are enjoying Railway pass, PTOs, Provident Fund and Medical aid etc.?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF RAILWAYS AND IN THE DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI MALLINARJUN): (a) There are 2350 gangmen working on Permanent Way in Chakradharpur Division (S. E. Railway) who have been in service for more than three years.

(b) and (c). Confirmation of staff depends upon availability of permanent vacancies to confirm the staff against the same. However, in case of Workshop Artisan staff, they are treated as confirmed on completion of three years continuous service.

(d) All employees appointed against regular vacancies, as distinct from casual labour, are entitled to all benefits of Passes, P.T.Os, Provident Fund, Medical aid etc. Even casual labour in open line become entitled to these benefits after 120 days of continuous service.